उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/6164 / जबलपुर, दिनांक 28/08/2023

कुमारी बहार चावला, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर से मान्यता प्राप्त क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से एल.एल.बी पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा" में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत् पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

28-8-2023

(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/6165/ जबलपुर, दिनांक 28/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./167-ए/1876 इंदौर, दिनांक 27.07.2023 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.)/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए (एस.ए)., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कुमारी बहार चावला, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(यू. एस. दुबे)
ओ.एस.डी.कम-पी.पी.एस.